अपील सूचना अधिकार संख्या 125/2021 (GCMS 2021/205)(आईटीआई पोर्टल नं. 212626534349868) देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री राधेश्याम निवासी वार्ड नं 8, 15 केएनडी''बी'', खानूवाली तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर–335708 बनाम उपखण्ड अधिकारी, घडसाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.06.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी देवेन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2021 से तीन बिन्दुओं की सूचना हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया था, परन्तु उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, घड़साना से निम्न सूचना चाही थीः

1. जिला श्रीगंगानगर के अन्तर्गत आने वाले सभी तहसीलों द्वारा मूल निवास प्रमाण आवेदन को जारी करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज ई मित्र पोर्टल पर अपलोड किये जाना आवश्यक है, इसकी जानकारी उपलब्ध दें।
2. क्या 2008, 2015 व 2018 की वोटर लिस्टों को तहसीलदार या एसडीएम द्वारा सत्यापित करवाना जरूरी है यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति उपलब्ध करावें।
3. तहसील स्तर द्वारा मूल निवास व जाति प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन अप्रूवल करने की अधिकतम समय सीमा क्या है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/21/1388 दिनांक 29.11.2021 से उपखण्ड अधिकारी, घडसाना से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आवेदन के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2021 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:44 IST
Reason: SelfAttested